पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
Email Id-academicprsu3@gmail.com Phone No. 0771-2262540

क्रमांक / 1816 /अका. / एफ–507 / सम्बद्धता / 2025 रायपुर, दिनांक 18 / 09 / 2025

/ / संशोधित आदेश / /

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.08.2025 के अनुमोदनानुसार आदेश क्रमांक / 626 / अका. / सम्बद्धता / 2025 रायपुर, दिनांक 02 / 04 / 2025 में महाविद्यालय के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए **जैन कॉलेज, देवपुरी, फुंडहर रोड, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा / विषय के लिये सत्र 2024–25 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :–

क्र.	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
1.	बी.ए.– I - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी, अंग्रेजी), पर्यावरण अध्ययन, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी साहित्य	35	2024-25
2.	बी.एस–सी. गणित – I - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी, अंग्रेजी), पर्यावरण अध्ययन, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र	35	
3.	बी.एस–सी. बायो – I - आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी, अंग्रेजी), पर्यावरण अध्ययन, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायनशास्त्र	35	
4.	बी.कॉम. – I - सभी अनिवार्य विषय	35	

<u>शर्ते</u> :–

1. महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1327 / 130 / आउशि / अ.शै.प्र. / 2023–24 अटल नगर, दिनांक 21 / 06 / 2024 के द्वारा पाठ्यक्रमों की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
4. शिक्षकों / कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
5. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा करेंगे। यदि पूर्व में राशि जमा की जा चुकी है तो एफ.डी.आर. की छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।
6. समय–समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
7. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
8. महाविद्यालय 03 वर्ष के भीतर भवन निर्माण पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
9. परिनियम 28 के तहत् न्यूनतम / आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से 03 माह के भीतर नियुक्त / पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
10. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।

क्रमशः –2–

11. परिनियम–27 एवं 28 का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक / 18 / 7 / अका. / एफ–507 / सम्बद्धता / 2025 रायपुर, दिनांक 18 / 09 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी, द्वितीय / तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपु र (छ.ग.)
3. संचालक / प्राचार्य, जैन कॉलेज, देवपुरी, फुंडहर रोड, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
4. उप–कुलसचिव परीक्षा / विकास / स.कु.स. नामांकन / गोपनीय / वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को इस निवेदन के साथ कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचना अपलोड करावें।
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (अका.)

Deputy Registrar (Acad.)
Ravishankar Shukla University
Raipur (C.G.) 492010

भाग "ब"

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनशेंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश कमांक : 460/अका/सम्बद्धता/2025 दिनांक 06/3/25

निरीक्षण की तिथी : 12.03.2025

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:–

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
1- बी.ए. Ist	आ.पा. हिन्दी अंग्रेजी पर्या. अर्थशा. मनो वि. अंग्रेजी शा.	- 35	2025-26	
2- बी. एससी. Ist	गणित. आ.पा. हिन्दी अंग्रेजी	- 35	2025-26	
3- बी.एस.सी. Ist	गणित, भौतिकी, रसायन आ.पा. हिन्दी अंग्रेजी पर्या. वनस्पति, प्राणी शा. रसायन	- 35	2025-26	
4- बी. कॉम Ist	अनिवार्य विषय	- 35	2025-26	

क.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु कमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	I(ii)	पंजीकृत है नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है.
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	I(iv)	11 एकड़, महा. के लिये 5.5 एकड़ चिन्हांकित
3.	इडांमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	I(v)	निरंक
4.	शांसी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना है.
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	नहीं
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता	3(xiv)	वर्तमान में समिति द्वारा संचालित विद्यालय के अतिरिक्त 8 कक्षों में संचालित किया जायेगा।
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता	3(xvi)	अस्थायी रूप से उपलब्ध है
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	क्रय किया जाना है।
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	नियुक्त किया जाना है।

ACADEMIC DEPARTMENT Date ....

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता	7(i), 7(vi)	नियुक्त किया जाना है। पुस्तकें क्रय किया जाना है।
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	आधारभूत सुविधायें उपलब्ध है।
12.	यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है?	—	
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे	(1) स्थल पर समिति के नाम 11 एकड़ भूमि है। जिसमें वर्तमान में स्कूल संचालित है। महा. हेतु 5.5 एकड़ भूमि चिंहांकित किया गया है। 2 कक्ष - स्वतंत्र कालम है।	
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।	वर्तमान में स्कूल के रिक्त 8 कक्षों में महा. संचालित किया जाना प्रस्तावित है। प्राचार्य का पत्र संलग्न है। (*) (5) संलग्न शपथ पत्र के अनुसार 3 वर्ष के भीतर महाविद्यालय का भवन निर्माण पूर्ण कर लिया जावे।	

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर
[signature]
(Prof. A. K. Srivastava)

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर
1.
2. [signature]
3. Dr. B. S. Thakur
4.
...
...
...

दिनांक 12.3.25

प्रति,

कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

[signature] [signature]

(*) संबद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में निम्न कमियों को प्रवेश के पूर्व दूर किया जाना होगा.
(1) प्रत्येक विषय हेतु न्यूनतम 1 शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति की जावेगी।
(2) प्राचार्य की नियुक्ति की जानी होगी।
(3) इंडोमेंट फंड में निर्धारित राशि जमा किया जाना होगा।
(4) [illegible] के अभाव में क्रय किया जावे।